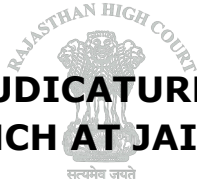


**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN  
BENCH AT JAIPUR**



D.B. Criminal Leave To Appeal No. 193/2025

राजस्थान सरकार जरिए लोक अभियोजक

-----अपीलार्थी

बनाम

धन्ने पुत्र श्री गब्बू आयु 54 साल, निवासी कल्याणी, पुलिस थाना सदर करौली, जिला करौली (राजस्थान)।

-----अभियुक्त / रेस्पोंडेंट

---

For Appellant(s) : Mr. Amit Kumar Punia, PP  
For Respondent(s) : Mr. Manish K. Saini, Adv.

---

**HON'BLE MR. JUSTICE MAHENDAR KUMAR GOYAL  
HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL**

**Judgment**

**27/03/2026**

**(PER HON'BLE BHUWAN GOYAL, J.)**

1. अपीलार्थी—राज्य सरकार द्वारा हस्तगत अपील अनुमति याचिका, अन्तर्गत धारा 419 (i)(iii) बी.एन.एस.एस. के तहत विद्वान विचारण न्यायालय— सेशन न्यायाधीश, करौली (राजस्थान) के द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 62/2021 (सी.आई.एस. नंबर 62/2021), उनवानी प्रकरण सरकार बनाम धन्ने में पारित निर्णय दिनांक 19-11-2024, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी—अभियुक्त धन्ने को अपराध अंतर्गत धारा 302 भा.दं.सं. के आरोप में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादिया अमरी (गवाह पी.ड.-1) द्वारा एक तहरीरी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) दिनांक 11-04-2021 को पुलिस थाना सदर करौली के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की गई कि दिनांक 09.04.2021 समय सुबह 8-8.30 बजे उसका पति पप्पू अपने गांव कल्याणी से काम पर कैलादेवी रोड पर आया तब पी.डब्ल्यू.डी. चौकी के पास कल्याणी पर एक राय होकर धन्ने माली पुत्र

गब्बू माली, महेश व लखन पुत्रान धन्ने माली, निवासी कल्याणी, थाना सदर करौली ने आपराधिक हमला कर जमीन पर पटक दिया और लात-घूसों से बुरी तरह से मारपीट की एवं गर्दन को अंगोछा से भीच दिया, जिसको काम पर आ रही आशा पत्नि जलसिंह माली ने बचाया अन्यथा उसके पति को जान से खत्म कर देते। मुलजिमान ने धमकी दी है कि उनके खिलाफ रिपोर्ट दी तो वे हमें गांव में नहीं रहने देंगे। वह भय के कारण रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सकी है, उसके पति की स्थिति मारपीट से बहुत ही खराब है, जो सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती है, उसे आज जयपुर के लिए रैफर कर दिया है। मुलजिमान ने उसके पति को जान से खत्म करने की साजिश की है, उसके पति की चोटों का मेडिकल करवाया जावे। रिपोर्ट सेवा में पेश है। मुलजिमान के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें.....इत्यादि।

3. उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना करौली सदर, जिला करौली द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 93/2021, अंतर्गत धारा 323, 341, 34 भादंस में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त धन्ने के विरुद्ध अंतर्गत धारा 323, 341, 302 भारतीय दंड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाकर मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से उसे सुनवाई हेतु विद्वान विचारण न्यायालय सेशन न्यायाधीश, करौली (राजस्थान) को अंतरित किया गया।
4. विद्वान विचारण न्यायालय ने तत्पश्चात् बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त धन्ने को अंतर्गत धारा 341, 323, 302 भादस में दंडनीय अपराध के आरोप विचरित कर सुनाए और समझाए तो अभियुक्त द्वारा आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाहने पर अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहान पी.डब्ल्यू.-1 लगायत पी.डब्ल्यू.-18 के बयान लेखबद्ध करवाये गए एवं दस्तावेजात प्रदर्श पी-1 लगायत प्रदर्श पी-16 पेश कर प्रदर्शित करवाये गये।
5. तत्पश्चात् अभियुक्त को अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत परीक्षित किए जाने पर उसके द्वारा अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए,

उसका निर्दोष होकर उसे झूठा फंसाया जाना कथन किया एवं साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा, किंतु उसके द्वारा साक्ष्य सफाई में ना तो किसी गवाह को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया गया और ना ही कोई दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

6. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तत्पश्चात उभयपक्षों को सुना जाकर आलौच्य निर्णय दिनांक 19.11.2024 द्वारा प्रत्यर्थी-अभियुक्त धन्ने को अपराध अंतर्गत धारा 323, 341 भादस में दोषसिद्ध करते हुए धारा 302 भादस के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया, जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील अपीलार्थी-राज्य सरकार द्वारा प्रत्यर्थी-अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 302 भादस में भी दोषसिद्ध कर दंडित करने हेतु प्रस्तुत की गई है।
7. विद्वान लोक अभियोजक का कथन है कि प्रस्तुत मामले में गवाह पी.ड.-4 आशा के कथनों एवं मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से प्रत्यर्थी-अभियुक्त द्वारा पप्पू माली के साथ उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से उसे लात-घूसों से मारपीट करना एवं उसका साफी से गला दबाना पूर्णतया प्रमाणित होते हुए भी विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19.11.2024 द्वारा प्रत्यर्थी-अभियुक्त धन्ने को अपराध अंतर्गत धारा 302 भादस में दण्डनीय अपराध में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया है, उक्त आदेश विधिसम्मत नहीं है। अतः अपील अनुमति याचिका स्वीकार करते हुए करते हुए प्रत्यर्थी-अभियुक्त को उसके विरुद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 302 भादस में दोषसिद्ध कर दण्डित किया जावे।
8. विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी-अभियुक्त ने कथन किया कि विद्वान विचारण न्यायालय के आलौच्य आदेश दिनांक 19.11.2024 में धारा 302 भादस के अपराध के संदर्भ में निकाले गये निष्कर्ष में किसी प्रकार की कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है एवं उक्त आदेश विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का सूक्ष्मता से एवं गहनता से विश्लेषण कर पारित किया है एवं उसमें हस्तक्षेप का कोई विधिक एवं तथ्यात्मक आधार नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी-राज्य सरकार अस्वीकार कर खारिज की जावे।

9. बहस ग्रहणार्थ सुनी गई एवं अपीलीय पत्रावली का मय अभिलेख सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्षों के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।
10. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष का यह केस रहा है कि दिनांक 09.04.2021 को प्रत्यर्थी-अभियुक्त ने प्रातः 8.00 से 8.30 बजे के मध्य पप्पू माली की मृत्यु कारित करने के आशय से उसका गला साफी से दबाया एवं उसके साथ लात-घूसों से मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाई जिससे उसकी मृत्यु कारित हुई एवं उक्त घटना को आशा पत्नि जलसिंह माली द्वारा देखा गया !
11. हस्तगत प्रकरण में उक्त अभियोजन कहानी के सदर्थ में गवाह पी.ड.-4 आशा की साक्ष्य का यदि अवलोकन करें तो उक्त गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में मात्र यह कथन किया है कि जब वह कल्याणी बस स्टैण्ड कैलादेवी रोड पर पहुंची तो उसने उसके गांव के पप्पू माली के साथ धन्ने माली को गाली-गलौज करते देखा, फिर उसका टैम्पो आने पर वह उसमें करौली जाने के लिए बैठ गई। टैम्पो में से उसने धन्ने माली को पप्पू माली के साथ लात-घूसों से मारपीट करते देखा किन्तु उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि मुलजिमान ने पप्पू के शरीर पर कहां-कहां चोटें मारी, वह नहीं बता सकती है, वह तो टैम्पो में बैठकर चली गई थी जिससे उसके कथनों से अभियोजन कहानी की प्रत्यर्थी-अभियुक्त धन्ने ने मृतक पप्पू की गर्दन को अंगोछे (साफी) से दबाया गया था कि पुष्टि नहीं हो पाती है, हस्तगत प्रकरण में इसी प्रकार मृतक पप्पू के मारपीट में गंभीर चोटें आने बाबत् अभियोजन कहानी की पुष्टि भी गवाह पी.ड.-7 डॉक्टर मुनेश कुमार, जिसके द्वारा मृतक पप्पू माली का शव परीक्षण किया गया था, उसके कथनों से नहीं हो पाती है, क्योंकि वह अपने बयानों में मृतक के शरीर पर कोई बाह्य चोटें आने से इनकार करते हुए उसकी मृत्यु सेप्टिक शॉक होकर कॉर्डियोरेस्पेक्ट्री अरेस्ट से होना, जिसका साधारण भाषा में हृदय का काम करना बंद करना बताता है एवं यह भी स्वीकार करता है कि यह किसी के साथ भी अचानक घटित हो सकती है, साथ ही वह अपनी प्रतिपरीक्षा में आँत का फटना, चोटों के अतिरिक्त अन्य मेडिकल कारणों

से होना भी स्वीकार करता है। गवाह पी.ड.—12 डॉ. ओ.पी. मीना भी अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार करता है कि एक्सरे रिपोर्ट में, उसके गैस अन्डर डाईफ़ागन थी जो आँत फटने के कारण होती है, गैस अन्डर डाईफ़ागन में अगर कोई व्यक्ति लम्बे समय से अत्यधिक शराब का सेवन करे तो उसकी आँत में छाला बनकर आँत फटने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। गवाह पी.ड.—15 डॉ. आसिफ हुसैन भी अपने बयानों में उसकी राय के अनुसार मृतक की मृत्यु कार्डियोपल्वनरी अरेस्ट के कारण होना बताते हुए मृतक का परीक्षण के समय कोरोना पॉजीटिव होना भी कथन करता है। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि पंचायतनामा प्रदर्श पी-4 में मृतक का कोरोना पॉजीटिव होने से दौराने इलाज मृत्यु होना अंकित किया गया है एवं प्रकरण में घटना दिनांक 09.04.2021 की होकर मृतक का कोई मेडिकल रिकॉर्ड न्यायालय में पेश नहीं किया है एवं गवाह पी.ड.—1 अमरी ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार भी किया है कि घटना के दिन उसके पति के कोई जाहिरा चोटें नहीं आई थी, इसलिए भर्ती नहीं करवाया था।

12. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष का ऐसा कोई केस भी नहीं रहा है कि मृतक की आँत मृत्यु से पूर्व संक्रमित होकर अभियुक्त को उक्त तथ्य की जानकारी थी एवं उसने इस कारण उसके साथ लात-घूसों से मारपीट की गई थी। ऐसे में विद्वान विचारण न्यायालय ने अपराध अंतर्गत धारा 302 भादस के संदर्भ में जो निष्कर्ष निकाला है, उसमें किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि होना प्रकट नहीं होता है।
13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **Babu Sahebagouda Rudragoudar Vs. State of Karnataka reported in [(2024) 8 SCC 149]** में यह अभिनिर्धारित किया है कि:-

“38. Further, in H.D. Sundara v. State of Karnataka, (2023) 9 SCC 581 this Court summarised the principles governing the exercise of appellate jurisdiction while dealing with an appeal against acquittal under Section 378 Cr.PC as follows:

“8. xxx xxx xxx

8.1. The acquittal of the accused further strengthens the presumption of innocence;

8.2. The appellate court, while hearing an appeal against acquittal, is entitled to re-appreciate the oral and documentary evidence;

8.3. The appellate court, while deciding an appeal against acquittal, after re-appreciating the evidence, is required to consider whether the view taken by the trial court is a possible view which could have been taken on the basis of the evidence on record;

8.4. If the view taken is a possible view, the appellate court cannot overturn the order of acquittal on the ground that another view was also possible; and

8.5. The appellate court can interfere with the order of acquittal only if it comes to a finding that the only conclusion which can be recorded on the basis of the evidence on record was that the guilt of the accused was proved beyond a reasonable doubt and no other conclusion was possible."

39. Thus, it is beyond the pale of doubt that the scope of interference by an appellate court for reversing the judgment of acquittal recorded by the trial court in favour of the accused has to be exercised within the four corners of the following principles:

- (a) That the judgment of acquittal suffers from patent perversity;
- (b) That the same is based on a misreading/omission to consider material evidence on record; and
- (c) That no two reasonable views are possible and only the view consistent with the guilt of the accused is possible from the evidence available on record."

**14.** ऐसे में विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा जो निष्कर्ष प्रतिपादित किया गया है, उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं होने से हम अपील हेतु अनुमति देने का कोई कारण नहीं पाते हैं। अतः अपील अनुमति याचिका, अपीलार्थी—राज्य सरकार ग्रहण योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाती है एवं विद्वान विचारण न्यायालय— सेशन न्यायाधीश, करौली (राजस्थान) के द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 62/2021 (सी.आई.एस. नंबर 62/2021), उनवानी प्रकरण सरकार बनाम धन्ने में प्रत्यर्थी—अभियुक्त को उसके विरुद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 302

भादस में पारित दोषमुक्ति के निर्णय दिनांक 19.11.2024 की हद तक पुष्टि की जाती है।

- 15.** इस निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय की पत्रावली के साथ विद्वान विचारण न्यायालय को भिजवाई जावे।

**(BHUWAN GOYAL),J**

**(MAHENDAR KUMAR GOYAL),J**

NIKITA/19